झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8 / ज॰ सं॰(नि॰) ल॰सिं॰रांची–10 / 2009 :– रॉंची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अब्दुल हफीज ने जबकि वे कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री अब्दुल हफीज सेवा निवृत कनीय अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के अर्न्तगत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री अब्दुल हफीज सेवा निवृत कनीय अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा॰ प्र॰ से॰ (सेवा निवृत) विभागीय जॉच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4– प्रस्ताव पर प्रधान सचिव / विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–

श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा॰ प्र॰ से॰ (सेवा निवृत) विभागीय जॉच पदाधिकारी, टी॰ए॰ डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, रांची।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी।

श्री अब्दुल हफीज सेवा निवृत कनीय अभियंता ग्राम+ पो॰– इटकी, एकतानगर, जिला– रांची, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–   राँची,   दिनांक –

प्रतिलिपि–अनुबंध की प्रति के साथ श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा॰ प्र॰ से॰ (सेवा निवृत) विभागीय जॉच पदाधिकारी, टी॰ए॰ डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, रांची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी / श्री अब्दुल हफीज सेवा निवृत कनीय अभियंता ग्राम+ पो॰– इटकी, एकतानगर, जिला– रांची, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2–जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।   ह0 /–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4655   / राँची, दिनांक – 31-8-15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/08/2015

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।